

कार्यालय जिलाधिकारी, आगरा।

संख्या: 1840 / डीएलआरसी

दिनांक: 20 नवम्बर, 2025

आदेश

उ०प्र० राजस्व संहिता, 2006 (उ०प्र० अधिनियम संख्या-08 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-(4) के खण्ड-(ग) तथा उ०प्र० राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03.06.2016, अधिसूचना संख्या-688/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06.07.2020 एवं शासनादेश संख्या-689/एक-1-2020-20(5)/2016, दिनांक 06.07.2020 के द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मैं अरविन्द मल्लप्पा बंगारी, जिलाधिकारी, आगरा निम्नांकित अनुसूची में उल्लिखित सार्वजनिक उपयोग हेतु सुरक्षित गाँव सभा भूमि को, जो अब तक उपर्युक्त शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-5 में उल्लिखित ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ तथा कॉलम-6 व 7 में उल्लिखित विवरण के अनुसार "आगरा इनर रिंग रोड व लैण्ड पार्सल योजना (ग्रेटर आगरा)" हेतु आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा के पक्ष में सःशुल्क हस्तान्तरित करता हूँ।

तालिका								
क्र० सं०	जनपद	तहसील	परगना	राजस्व ग्राम	गाटा/प्लॉट		भूमि की श्रेणी	विवरण/प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहित की जा रही है
					संख्या	क्षेत्रफल (है० में)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आगरा	एल्मादपुर	एल्मादपुर	रायपुर	501	0.1240 है० में से रकबा- 0.1000	नाली	आगरा इनर रिंग रोड व लैण्ड पार्सल योजना (ग्रेटर आगरा) हेतु

(अरविन्द मल्लप्पा बंगारी),
जिलाधिकारी,
आगरा।

संख्या व दिनांक उपरोक्त : :
प्रतिलिपि :-

- अपर मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन, राजस्व अनुभाग-1, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- मुद्रण एवं प्रकाशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री (उ०प्र०), इलाहाबाद को शासकीय गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
- उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा को इस आशय से प्रेषित है कि शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03.06.2016 में विनिर्दिष्ट वर्तमान प्रचलित बाजार दर से आंकलित चार गुना मूल्य मु०-14,00,000/-रूपया तथा भूमि के मूल्य के अतिरिक्त मालगुजारी के 150 गुने के बराबर पूँजीकृत मूल्य/वार्षिक किराया मु०-45/-रूपया अर्थात् कुल धनराशि मु०-14,00,045/- (चौदह लाख पैंतालीस मात्र) रुपये राजकोष में निर्धारित लेखाशीर्षक "0029-भूराजस्व-800-अन्य प्राप्ति-08-मालकाना राजस्व-0806-प्रकीर्ण प्राप्ति" के नाम जमा कराने का कष्ट करें।
- सचिव, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
- उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, एल्मादपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा द्वारा पुनर्ग्रहण हेतु उपर्युक्तानुसार राजकोष में आंकलित धनराशि निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराने के उपरान्त वे इस आदेश का राजस्व अभिलेखों में नियमानुसार अमलदरागद कर एवं मौके पर कब्जा व दखल के उपरान्त अनुपालन आख्या मय खतौनी उद्धरण एवं दखलनामा के इस कार्यालय में भिजवाना सुनिश्चित करें।


जिलाधिकारी,
आगरा।

कार्यालय जिलाधिकारी, आगरा।

संख्या: 1841 / डीएलआरसी

दिनांक: 20 नवम्बर, 2025

आदेश

उ०प्र० राजस्व संहिता, 2006 (उ०प्र० अधिनियम संख्या-08 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-(4) के खण्ड-(ग) तथा उ०प्र० राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्तियों तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03.06.2016 के द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मैं अरविन्द मल्लप्पा बंगारी, जिलाधिकारी, आगरा निम्नांकित अनुसूची में उल्लिखित गाँव सभा भूमि को, जो अब तक उपर्युक्त शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-5 में उल्लिखित ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ तथा कॉलम-6 व 7 में उल्लिखित विवरण के अनुसार "आगरा इनर रिंग रोड व लैण्ड पार्सल योजना (ग्रेटर आगरा)" हेतु आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा के पक्ष में सःशुल्क हस्तान्तरित करता हूँ।

तालिका								
क्र० सं०	जनपद	तहसील	परगना	राजस्व ग्राम	गाटा/प्लॉट		भूमि की श्रेणी	विवरण/प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहित की जा रही है
					संख्या	क्षेत्रफल (है० में)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आगरा	एत्मादपुर	एत्मादपुर	रहनकलां	48	0.0350	बंजर	आगरा इनर रिंग रोड व लैण्ड पार्सल योजना (ग्रेटर आगरा) हेतु
					363/2	0.0060		
					474मि०	0.1040		
योग					किता-3	0.1450		

(अरविन्द मल्लप्पा बंगारी),
जिलाधिकारी,
आगरा।

संख्या व दिनांक उपरोक्त ::

प्रतिलिपि :-

- अपर मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन, राजस्व अनुभाग-1, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- मुद्रण एवं प्रकाशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री (उ०प्र०), इलाहाबाद को शासकीय गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
- उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा को इस आशय से प्रेषित है कि शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03.06.2016 में विनिर्दिष्ट वर्तमान प्रचलित बाजार दर से आंकलित चार गुना मूल्य मु०-23,20,000/-रूपया तथा भूमि के मूल्य के अतिरिक्त मालगुजारी के 150 गुने के बराबर पूँजीकृत मूल्य/वार्षिक किराया मु०-313/-रूपया कुल धनराशि मु०-23,20,313 (तेइस लाख बीस हजार तीन सौ तेरह) रुपये मात्र राजकोष में लेखाशीर्षक "0029-भूराजस्व-800-अन्य प्राप्तियाँ- 08-मालकाना राजस्व-0806-प्रकीर्ण प्राप्तियाँ" के नाम जमा कराने का कष्ट करें।
- सचिव, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
- उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, एत्मादपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा द्वारा पुनर्ग्रहण हेतु उपर्युक्तानुसार आंकलित धनराशि राजकोष में निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराने के उपरान्त वे इस आदेश का राजस्व अभिलेखों में नियमानुसार अमलदराजद कर एवं मौके पर कब्जा व दखल देने के उपरान्त अनुपालन आख्या मय खतौनी उद्घरण एवं दखलनामा के इस कार्यालय में गिजवाना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी,



कार्यालय जिलाधिकारी, आगरा।

संख्या: 1802-डीएलआरसी

दिनांक: 28 नवम्बर, 2025

आदेश

उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-08 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-(4) के खण्ड-(ग) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-35/740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03.06.2016, अधिसूचना संख्या-688/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06.07.2020 एवं शासनादेश संख्या-689/एक-1-2020-20(5)/2016, दिनांक 06.07.2020 तथा उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व अनुभाग-1 से निर्गत कार्यालय ज्ञाप (संशोधन) संख्या-578/एक-1-2023-1-1099/46/2023 दिनांक 17.07.2023 के द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मैं अरविन्द मल्लप्पा बंगारी, जिलाधिकारी, आगरा निम्नांकित अनुसूची में उल्लिखित सार्वजनिक उपयोग हेतु सुरक्षित गाँव सभा भूमि को, जो अब तक उपर्युक्त शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-5 में उल्लिखित ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ तथा कॉलम-6 व 7 में उल्लिखित विवरण के अनुसार "आगरा इनर रिंग रोड व लैण्ड पार्सल योजना (ग्रेटर आगरा)" हेतु आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा के पक्ष में सःशुल्क हस्तान्तरित करता हूँ।

तालिका								
क्र० सं०	जनपद	तहसील	परगना	राजस्व ग्राम	गाटा/प्लॉट		भूमि की श्रेणी	विवरण/प्रयोजन, जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहित की जा रही है
					संख्या	क्षेत्रफल (हे० में)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आगरा	एतमादपुर	एतमादपुर	रायपुर	800	0.1730	आबादी	आगरा इनर रिंग रोड व लैण्ड पार्सल योजना (ग्रेटर आगरा) हेतु
					583मि	0.0460	रास्ता	
योग					किता-2	0.2190		

(अरविन्द मल्लप्पा बंगारी),
जिलाधिकारी,
आगरा।

संख्या व दिनांक उपरोक्त : :
प्रतिलिपि :-

- अपर मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन, राजस्व अनुभाग-1, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
- मुद्रण एवं प्रकाशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री (उ0प्र0), इलाहाबाद को शासकीय गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
- उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा को इस आशय से प्रेषित है कि शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03.06.2016 में विनिर्दिष्ट वर्तमान प्रचलित बाजार दर से आंकलित चार गुना मूल्य मु0-30,66,000/-रूपया तथा भूमि के मूल्य के अतिरिक्त मालगुजारी के 150 गुने के बराबर पूँजीकृत मूल्य/वार्षिक किराया मु0-35/-रूपया कुल धनराशि मु0- 30,66,035 (तीस लाख छयासठ हजार पैंतीस रुपये मात्र) राजकोष में लेखाशीर्षक "0029-भूराजस्व-800-अन्य प्राप्तियाँ- 08-मालकाना राजस्व-0806-प्रकीर्ण प्राप्तियाँ" के नाम जमा कराने का कष्ट करें।
- सचिव, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
- उप जिलाधिकारी, एतमादपुर जिला आगरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि तालिका में सार्वजनिक उपयोग की भूमि के बदले में शासनादेश संख्या-689/एक-1-2020-20(5)/2016, दिनांक 06.07.2020 के प्रावधानों में विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं के समतल्य सामान्य



श्रेणी की उपयुक्त भूमि नियमानुसार आरक्षित कराते हुए अनुपालन आख्या एक पक्ष में इस कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

6. तहसीलदार, एत्मादपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा द्वारा पुनर्ग्रहण हेतु उपर्युक्तानुसार राजकोष में आंकलित धनराशि निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराने के उपरान्त वे इस आदेश का राजस्व अभिलेखों में नियमानुसार अमलदरामद कर एवं मौके पर कब्जा व दखल के उपरान्त अनुपालन आख्या मय खतौनी उद्धरण एवं दखलनामा के इस कार्यालय में भिजवाना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी,
आगरा।